भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

मिल्क टेंकर से तरल दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से ई–निविदा बीएमसी मार्गो से भोपाल दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा तक 9000 कि.ग्रा., 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता अनुसार दिनांक 15.11.2024 को समाचार पत्र राज एक्सप्रेस एवं पत्रिका (Tender ID 2024_MPCDF_382354_1) में प्रकाशित की गई थी। निविदा प्रपत्र में प्रपत्र क्रं.–1 के बिन्दु क्रं. 1.8 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.8	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि की डी.डी./बैकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की डी.डी./बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करें।

संशोधन उपरान्त

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.8	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व /पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रू. 100000/– (एक लाख रूपये) ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन निविदा भरते समय जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद ऑनलाइन संलग्न करना अनिवार्य है।

पढ़ा जाये।

- अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 को भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.12.2024 समय–12.00 PM	12.12.2024 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	06.12.2024 समय–12.00 PM	13.12.2024 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 को भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	12.12.2024 समय–12.00 PM	19.12.2024 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	13.12.2024 समय–12.00 PM	20.12.2024 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	19.12.2024 समय–12.00 PM	26.12.2024 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	20.12.2024 समय–12.00 PM	27.12.2024 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	26.12.2024 समय–12.00 PM	01.01.2025 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	27.12.2024 समय–12.00 PM	02.01.2025 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	01.01.2025 समय–12.00 PM	07.01.2025 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	02.01.2025 समय–12.00 PM	08.01.2025 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 14.11.2024 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्रं. 7849 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार ऑनलाइन अपलोड करने एवं ऑनलाइन खोलने की दिनांको में परिवर्तन किया जा रहा है ।

विवरण	पूर्व तिथि	संशोधित तिथि
आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	07.01.2025 समय–12.00 PM	14.01.2025 समय–12.00 PM
आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	08.01.2025 समय–12.00 PM	15.01.2025 समय–12.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिव्यक्ति की अभिरूचि क्र.7849 दिनांक – 14.11.2024

मिल्क टेंकर से तरल दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित विभिन्न बी.एम.सी मार्गों से भोपाल दुग्ध संयंत्र तक एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा तक के इंसुलेटेड मिल्क टेंकर संलग्न किए जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। मिल्क टेंकर दूध परिवहनकर्ता की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.11.2024 को www.mptenders.gov.in से रू. 1000/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05.12.2024 समय 12:00 बजे तक
3.	आवेदन ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.12.2024 एवं समय 12:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.100000/– (राशि रू. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर आवेदन प्रपत्र में दूध परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन प्रपत्र रू. 1000/– ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् दूध परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एक मार्ग के लिये, एक से अधिक सफल आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन लॉटरी (Computer Randamisation) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

दूध परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर दूध परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

बी.एम.सी मार्गों से मिल्क टेंकर तरल दूध परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2024–2027

मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.11.2024 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05.12.2024 समय 12:00 बजे तक
3	आवश्यक अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 06.12.2024 एवं समय 12:00 बजे से, ऑन लाइन, भोपाल दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि	रू. 1,00,000/— (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- आवेदनकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन आवेदन है। अतः आवेदनकर्ता, आवेदन प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत फोटो को स्वप्रमाणित करने के पश्चात् ही आवेदन प्रपत्र भरें एवं आवेदन में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से आवेदन प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी आवेदन अमान्य होंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने की दशा में पात्र आवेदनकर्ता को आवेदन में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल।

महोदय,

भोपाल दुग्ध संध के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बी.एम.सी मार्गों से भोपाल दुग्ध संयंत्र तक एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर एवं आष्टा हेतु 9000 कि.ग्रा., 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इंसूलेटेड वाहन .... मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी आवेदन नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी की ओर से आवेदन भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/कंपनी की ओर से आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं आवेदन भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.03 संलग्न करें।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.4	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय / अशासकीय / सहकारी संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने / मा.न्यायालय में कोई प्रकरण / वाद लंबित नहीं हों।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100 / – के नोटराईज्ड स्टॅाम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को 05 वर्ष का दूध परिवहन हेतु मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था / कम्पनी द्वारा जारी दूध परिवहन मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य के आदेश अथवा अनुबंध की प्रति संलग्न करें एवं पांच वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रू. 100 / – के नोटराइज्ड स्टॅाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।
1.6	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		प्रपत्र क्र.07 के तालिका में दर्शाए मार्ग के सम्मुख वाहन की क्षमता, वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2019 के हो, उसी वर्ष के पंजीकृत हों अथवा इसके बाद के वर्षो के पंजीकृत हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
1.7	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) दूध परिवहन हेतु मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस / पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस / पंजीयन की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.8	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि की डी.डी. / बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रू.100000 / – (एक लाख रूपये) की डी.डी. / बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करें।
1.9	आवेदनकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर जमा रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की आयकर रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
1.10	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को **स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।**

(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगे।

हस्ताक्षर ————————————————

नाम :– ————————————————

पता :–————————————————

————————————————

————————————————

टेलीफोन नं.————————————————

मोबाईल नं ————————————————

मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता हेतु आवेदन की आवश्यक शर्ते :–

1. भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न बी.एम.सी मार्गों से मुख्य संयंत्र भोपाल तक एवं दुग्ध शीतकेन्द्र नरसिंहगढ़, आष्टा, पचौर, शुजालपुर तक 9000 कि.ग्रा., 12000 कि.ग्रा., 15000 कि.ग्रा., एवं 19000 कि.ग्रा. तक की क्षमता के इंसुलेटेड मिल्क टेंकर हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक जिनके पास एक इंसुलेटेड मिल्क टेंकर अथवा एक से अधिक मिल्क टेंकर उपलब्ध हों। वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. बी.एम.सी मार्गों में अनुबंधित किए जाने वाले विभिन्न क्षमताओं के मिल्क टैंकर की परिवहन दर निम्नानुसार रहेगी –

क्रं.	टेंकर की निर्धारित मात्रा (Base Qty.)	निर्धारित परिवहन दर प्रति कि.मी. (Base Rate)
01	9000 किलोग्राम	रू. 31.00 प्रति किलोमीटर
02	12000 किलोग्राम	रू. 31.50 प्रति किलोमीटर
03	15000 किलोग्राम	रू. 35.00 प्रति किलोमीटर
04	19000 किलोग्राम	रू. 50.50 प्रति किलोमीटर

3. निर्धारित मात्रा (टेंकर) के लिए अतिरिक्त दुग्ध परिवहन की केवल 05% अधिक मात्रा के लिए फार्मूला के आधार पर दर की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
4. निर्धारित मात्रा (टेंकर) से 05% कम दूध परिवहन होने पर निर्धारित मात्रा के टेंकर की दर अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
5. निर्धारित मात्रा (टेंकर) से 05% से अधिक कम दूध परिवहन करने पर उस मात्रा के टेंकर के समीपवर्ती निर्धारित मात्रा के टेंकर की क्षमता के परिवहन दर अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
6. संपूर्ण माह में परिवहन किये गये दूध की मात्रा के आधार पर औसत मात्रा की गणना करके, फार्मूला अनुसार दर निर्धारित कर भुगतान किया जायेगा।
7. निर्धारित मात्रा के टेंकर में अधिक या कम मात्रा में दूध परिवहन करने पर परिवहन दर का फार्मूला टेंडर में संलग्न किया गया है।
8. अनुबंधित अवधि में सफल परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में टोल टेक्स का भुगतान वास्तविक साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात् किया जाएगा।
9. यदि कोई परिवहनकर्ता 19000 कि.ग्रा. से अधिक क्षमता के टेंकर संलग्न करना चाहता है तो कर सकता है, किन्तु दरों का निर्धारण टेंडर में चाही गई Base Quantity क्षमता की दर अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
10. ऐसे आवेदक जिनके वर्तमान में भोपाल दुग्ध संघ में मिल्क टेंकर संलग्न हैं अथवा भोपाल दुग्ध संघ में दूध परिवहन कार्य हेतु संलग्न रहे हैं, प्रत्येक टैंकर के लिए यदि आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने पर आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने पर ऐसे आवेदनों को अमान्य कर दिए जाऐंगे।
11. दुग्ध संकलन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2019 के होने चाहिए तथा पंजीयन 2019 अथवा उसके बाद के होने चाहिए। स्वीकृत आवेदक के मिल्क टेंकर स्वयं के नाम से होने चाहिए।
12. आवेदन स्वीकृती की स्थिति में सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.06 में संलग्न है। जिसे केवल सफल आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः आवेदनकर्ता अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
13. किसी भी बी.एम.सी मार्ग में यदि केवल एक आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक अहर्ता का परीक्षण करने के पश्चात् अहर्ताएं सफल पाए जाने पर कार्य आवंटित किया जाऐगा एवं यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

14. स्वीकृत आवेदक को प्रत्येक टैंकर के लिए बतौर सुरक्षा निधि राशि रू. 500000/— (रू. पॉच लाख) ऑन लाइन आर.टी.जी.एस. अथवा डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से जो कि पेयबल एट "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करना होगा। ई.एम.डी राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जाएगा। दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा।

15. आवेदन स्वीकृत होने एवं अनुबंध निष्पादित होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आवेदन निरस्त करने व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा। ईएमडी राशि का सुरक्षा निधि राशि में समायोजन किया जाएगा।

16. **सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में स्वहस्ताक्षरित चेक बुक की प्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन अमान्य कर किए जाऐंगें। यदि आवेदक के विरूद्ध लेनदारी, कटौत्रा इत्यादि उसकी जमा सुरक्षा निधि से अधिक हो जाती है, तो स्वहस्ताक्षरित चेक (धनादेश) को दुग्ध संघ द्वारा आहरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।**

17. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय यदि असत्य प्रमाणित होती है तो प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदनकर्ता के ऐसे आवेदन निरस्त की जाएगी तथा दुग्ध परिवहन कार्य से तत्काल पृथक किया जाकर कार्य आदेश एवं अनुबंध निरस्त किया जाएगा।

18. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास निहित होगा।

19. आवेदन स्वीकृति के पश्चात् परिवहनकर्ता का कार्य आदेश दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।

20. पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

21. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान में कमी/वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ को होगा। जिसकी गणना बी.एम.सी मार्ग की दूरी जो आवेदन में वर्णित हैं संलग्न टेंकरों के औसत किलोमीटर के आधार पर की जाऐंगी।

22. आवेदन प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि आवेदन तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित आवेदन के संबंधित दिवस की आवेदन अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

23. **सफल आवेदनकर्ता को आवेदन की औपचारिकताएं 15 दिवस की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल आवेदनकर्ता द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**

24. **प्रतिभागी आवेदनकर्ता आवेदन में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को एवं आवेदन की शर्तों को स्वप्रमाणित व स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करें अन्यथा स्वप्रमाणित व स्वहस्ताक्षरित नहीं पाए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदनों को अमान्य किया जाएगा।**

25. आवेदनकर्ता परिवहन कार्य संबंधि प्रपत्र क्रं. 01 (तकनीकी अहर्ताएं) में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजो की प्रति संलग्न करें। आवश्यक अर्हताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकारी की काट छांट न करें एवं ओव्हरराइटिंग न करें। अन्यथा शब्दो में भिन्नता एवं ओव्हरराइटिंग पाये जाने पर ऐसी आवेदन निरस्त होंगी।

26. आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

27. कार्य की आवश्कतानुसार टैंकरों को शीतकेंद्रों से भी दुग्ध परिवहन कार्य हेतु भेजा जा सकेगा ।

28. आवेदनकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
29. भोपाल दुग्ध संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता/टैंकर को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषप्रद पाए जाने पर आवेदन अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है या काली सूची में डाला गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता/टैंकर आवेदन में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
30. दुग्ध संघ को संकलन हेतु दो चेम्बर वाले टेंकर की आवश्यकता है। सफल आवेदनकर्ता के पास यदि एक चेम्बर का टेंकर है तो उसे एक माह का समय दिया जाएगा, जिसे वह दो चेम्बर में परिवर्तित कर सके तथा होने वाले व्यय आवेदनकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
31. फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर आने पर उस समय दूध की क्रय दर के आधार पर फैट एवं एस.एन.एफ की पृथक–पृथक राशि की गणना का कटौत्रा नियमानुसार परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से प्रतिमाह किया जाएगा। इस हेतु परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ में जमा किए गए स्वहस्ताक्षरित चेक, बैंक में आवश्यकता प्रतिपादित होने पर आहरण हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
32. प्रतिभागी आवेदक जिनके द्वारा मिल्क टैंकर की जानकारी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी, उन्हें जिस संस्था में दूध परिवहन हेतु मिल्क टैंकर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उक्त संस्था से प्रत्येक मिल्क टेंकर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदन अमान्य किए जाएंगे।
33. यदि प्रतिभागी आवेदक द्वारा किसी अन्य पार्टी से जो कि पूर्व में म.प्र. के किसी भी दुग्ध संघ में मिल्क टैंकर परिवहन का कार्य कर रहे हैं या पूर्व में परिवहन का कार्य कर चुके हैं से मिल्क टैंकर क्रय कर लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रय कर टैंकर लगाने वाले आवेदकों को संबंधित दुग्ध संघ से भी प्रत्येक मिल्क टैंकर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नो–ड्यूज़ प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रतिभागी आवेदक को देना होगा। जिसे प्रतिभागी आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदनों को अमान्य किया जाएगा।
34. ऐसे आवेदक जिनके म.प्र. से बाहर अन्य राज्यों के दुग्ध संघों में दूध परिवहनकर्ता का कार्य किया जा रहा है। यदि वे अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित दुग्ध संघों से प्रत्येक मिल्क टैंकर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नो–ड्यूज प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदकों के आवेदन अमान्य किए जाएंगे।
35. प्रतिभागी आवेदक जिस बी.एम.सी मार्ग हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे प्रपत्र क्र.03 में स्पष्ट रूप से मार्ग का नाम अंकित करें। शब्दों में भिन्नता, अपठनीय एवं ओवरराईटिंग होने की दशा में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे।
36. यदि अनुबंध अवधि में अधिकतम तीन बार फैट एवं एस.एन.एफ का कटौत्रा राशि परिवहन देयक का 50 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृत परिवहनकर्ता को प्रथम दृष्टया चेतावनी दी जाएगी। पुर्नरावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त कर कंडिका क्र.8.1 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
37. प्रतिभागी आवेदक जिन बी.एम.सी मार्गों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे आवेदन के प्रपत्र क्रं. 07 का अवलोकन कर प्रपत्र क्र.03 के उपखण्ड क्र.06 में बी.एम.सी मार्ग का नाम अंकित करें। यदि बी.एम. सी मार्ग का नाम अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदनों को निरस्त किया जाएगा।

मेरे द्वारा मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता की आवेदन एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम

हस्ताक्षर–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW

शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्रमांक – 3

मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन–प्रपत्र

पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. आवेदनकर्ता का नाम ....
   (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व)
2. पिता / पति का नाम ....
3. स्थाई / वर्तमान पता ....
   ....
   ....
4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल एड्रेस ....
6. मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रस्तावित बीएमसी मार्ग का नाम ....
   ....
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....
   ....
8. (अ) पेन नम्बर ....
   (ब) FSSAI ....
   (स) आधार कार्ड नम्बर..

मेरे द्वारा मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा बीएमसी मार्ग .... में मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय/सहकारी संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी/सहकारी संस्था का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।
3. यह कि मेरा/हमारा म.प्र. के सभी दुग्ध संघों एवं म.प्र. के बाहर के दुग्ध संघों, मदर डेयरी इत्यादि संस्थाओं में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ड्यूज़ एवं दूध चोरी, मिश्रण इत्यादि की घटनाओं में संलिप्तता नहीं रही है तथा किसी भी संस्था द्वारा मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई है।

1. गवाह
   नामः—...
   पताः— ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः—...
   पताः— ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अनुबंधित अवधि में उपरोक्त शपथ कभी भी असत्य पाया जाता है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसमें मैं अपनी सहमति देता हूं।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि स्वप्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें दूध परिवहनकर्ता कार्य का कुल पांच वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे ....द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास एवं ईमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल   हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

अतिरिक्त मात्रा के लिए सूत्र –

- निर्धारित मात्रा (क्षमता) Base Quantity (BQ)
- निर्धारित परिवहन दर Base Rate (BR)
- निर्धारित मात्रा का 05% + निर्धारित मात्रा (क्षमता) (BE)
- BE की दर (BER) = $\frac{BE \times BR}{BQ}$
- निर्धारित मात्रा + 05% अतिरिक्त मात्रा की अंतिम परिवहन दर = $\frac{BR + BER}{2}$

उदाहरण के लिए –

- निर्धारित मात्रा (क्षमता) Base Quantity (BQ) = 9000 कि.ग्रा.
- निर्धारित परिवहन दर Base Rate (BR) = रू. 31.00 प्रति किलोमीटर
- निर्धारित मात्रा का 05% + निर्धारित मात्रा (क्षमता) (BE) = 450 + 9000 कि.ग्रा. = 9450 कि.ग्रा.
- BER = $\frac{BE \times BR}{BQ} = \frac{9450 \times 31}{9000}$
- BER = 32.55 per km
- निर्धारित मात्रा + 05% अतिरिक्त मात्रा की अंतिम परिवहन दर = $\frac{BR + BER}{2}$

$$= \frac{31 + 32.55}{2} = 31.77 \text{ per km.}$$

- यदि 9000 कि.ग्रा. क्षमता का टेंकर एक दिन में 100 कि.मी. चलेगा तो उसकी कुल परिवहन राशि = 100 x 31.77 = Rs. 3177 का भुगतान होगा।

अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)
साँची मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा बीएमसी मार्ग .... के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को तीन माह का लिखित अग्रिम नोटिस मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष के पास बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में राशि रू........................... बी.आर क्र...... दिनांक .... दुग्ध संघ में जमा रहेंगे। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि, मिल्क टेंकर परिवहनकर्ता कार्य की अवधि पूर्ण होने पर तथा दुग्ध संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधी वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. द्वितीय पक्ष अपने वाहन के अनुरक्षण, डीज़ल व अन्य सभी खर्चों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
5. द्वितीय पक्ष को मिल्क टेंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टाफ मय अधिकृत लायसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टाफ का पुलिस सत्यापन तथा लायसेंस की प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। स्टाफ परिवर्तन करने की स्थिति में इसकी अग्रिम सूचना प्रथम पक्ष को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ देना अनिवार्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष आबंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष बिना कोई नोटिस दिये आवंटित कार्य निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगा।
7. दुग्ध संयंत्र एवं शीतकेन्द्रों से बीएमसी समितियों की दूरियां अनुमानित हैं। वास्तविक तय की गई दूरी जिसका भुगतान किया जाना है वह जी.पी.एस के माध्यम से तय की जा सकेगी। जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जाएगा। अनुबंध अवधि में आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में किलोमीटर का सत्यापन किया जा सकता है, जिसके आधार पर देयक भुगतान हेतु जो भी कमी अथवा वृद्धि संभावित होगी के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदायित टेंकर में वॉल्व बॉक्स का होना अनिवार्य है। साथ ही टेंकर मेन होल के ढक्कन के उपर कवर ढक्कन दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार होना अनिवार्य है, जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टेंकर को कार्य से पृथक कर दिया जाएगा।
9. द्वितीय पक्ष के प्रत्येक टेंकर में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के व्यय पर जीपीएस सिस्टम एवं डिजिटल लॉक सेंसर के साथ लगाया जाएगा। जिसका वर्तमान में व्यय रू. 12500/– प्रति टैंकर प्रतिमाह है। भविष्य में दरें कम/अधिक होने पर परिवहनकर्ता को मान्य होगा। इससे टेंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जाएगी एवं इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि जीपीएस सिस्टम/सेंसर में द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाती है तो प्रथम पक्ष द्वारा रू. 100000/– की पेनल्टी स्वरूप वसूल की जाएगी। पुर्नरावृत्ति पाए जाने पर द्वितीय पक्ष का अनुबंध समाप्त कर, ब्लेक लिस्टेड कर द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
10. बीएमसी समिति में भण्डारित दूध को गेज मार्क से मात्रा को चेक कर तथा दूध गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत टेंकर में भरना होगा। निर्धारित सील/लॉक लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सेम्पल का परीक्षण समिति सचिव के समक्ष करके, उसे दिखाकर तदानुसार डिलीवरी चालान आदि बनाया जाएगा। जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे। तदोपरांत उसे गेट पास दिया जाएगा।

11. द्वितीय पक्ष के स्टाफ का यह दायित्व होगा की वह दूध से भरे टेंकर को लेकर निकलने के पूर्व संपूर्ण वांछित कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करे एवं उसे निर्धारित स्थान पर उसी स्थिति में पहुंचाए, जिससे की दूध मात्रा, फैट एवं एसएनएफ में कोई अंतर नहीं आए।
12. विभिन्न बीएमसी से प्राप्त दूध को शीत केन्द्र/संयंत्र द्वारा निर्धारित तौल कांटा पर द्वितीय पक्ष के स्टाफ के समक्ष प्राप्त किए गए वजन अनुसार दूध प्राप्त किया जाएगा।
13. यदि टेंकर पर लगी सील/लॉक में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एसएनएफ में अंतर नहीं आने पर भी ऐसी स्थिति में रू. 50000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष पर अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. दुग्ध टेंकरों के अनुरक्षण जैसे साफ-सफाई, लीकेज/पेंटिंग लॉकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टेंकर के अंदर की सफाई दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी।
15. परिवहन के दौरान टेंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलंबित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं समस्त क्षति का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के देयक से किया जाएगा।
16. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की राशि वसूली द्वितीय पक्ष से की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
17. यदि परिवहन के दौरान टेंकर दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की सम्पूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक बीमा कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
18. द्वितीय पक्ष के स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टेंकर एवं स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में निर्धारित स्थान पर टेंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी।
19. मिल्क टेंकर द्वारा दूध का परिवहन आर.टी.ओ से सत्यापित क्षमता अनुसार होना आवश्यक है। 9000 लीटर क्षमता के अधीन रहते हुए आर.टी.ओ से सत्यापित क्षमता का प्रोरेटा भुगतान किया जाएगा। दुग्ध टेंक (बैरल) बदलने हेतु इसकी पूर्व अनुमति प्रथम पक्ष से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में प्रथम पक्ष से अनुमति प्राप्त किए बिना टेंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना अनुमति के द्वितीय पक्ष द्वारा बैरल बदला जाता है तो अनुबंध निरस्त कर, प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष के पास निहित होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
20. द्वितीय पक्ष को परिवहन कार्य प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टेंकर का आना-जाना पाए जाने की स्थिति में प्रथमदृष्टया रू.100000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति पाए जाने पर द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्टेड कर दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
21. दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा टेंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को द्वितीय पक्ष के स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
22. द्वितीय पक्ष को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
23. द्वितीय पक्ष के द्वारा टेंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर प्रथम पक्ष द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के देयक से कर लिया जाएगा, जो द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

(i) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'

(ii) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया .... नम्बर पर सूचित करें। (नंबर टेंडर फाइनल करने पर बताया जावेगा।)

(iii) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विज्ञापन टैंकर पर लिखवाना अनिवार्य होगा।

(iV) वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

24. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा करना आवश्यक होगा।

25. नियमानुसार द्वितीय पक्ष के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
26. द्वितीय पक्ष को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की नाममात्र की सदस्यता रूपये 100/–जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
27. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

9000 किग्रा क्षमता ------ 5 km/lit

…………………………………..

28. द्वितीय पक्ष को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।
29. परिवहन के दौरान दुग्ध संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रू.5,00,000**/– के साथ–साथ द्वितीय पक्ष एवं उसके वाहन चालक, टैंकर एवं समस्त स्टाफ के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर द्वितीय पक्ष, टैंकर, वाहन चालक एवं समस्त स्टाफ को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा दुग्ध संघ को हुई अन्य हानियाँ द्वितीय पक्ष के देयकों एवं स्वहस्ताक्षरित धनादेश को बैंक में आहरण हेतु प्रस्तुत कर वसूल की जायेगी।
30. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू.1,00,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना दुग्ध संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
31. यह कि टैंकर में सील अथवा लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध लोड करने के पश्चात लॉक किया जा सके ।
32. सामान्य परिस्थिति में टैंकर सांय 09:00 बजे के पूर्व मुख्य संयंत्र में पहुंचना अनिवार्य होगा किन्तु परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुग्ध संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
33. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।
34. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
35. द्वितीय पक्ष को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों एवं उसके स्टाफ हेतु लेना अनिवार्य होगी। द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी ना कि प्रथम पक्ष की। साथ ही इन कारणों से प्रथम पक्ष को होने वाली क्षति की वसूली भी द्वितीय पक्ष से की जायेगी।
36. आवेदन में वर्णित शर्तो के अनुरूप सेवाएं प्रदान न करने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगी :

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
01	01 माह तक	लागत का 01 प्रतिशत
02	01 से 02 माह तक	लागत का 02 प्रतिशत
03	02 माह से अधिक	लागत का 05 प्रतिशत

37. किसी भी प्रकरण में द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
38. आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र.02 में वर्णित नियम व शर्तें इस अनुबंध के भाग माने जाएंगे एवं बंधनकारी होंगे।

मैं .... पिता/पति/पत्नी... तरल दूध परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति.. को घोषित करता/ करती हूँ।

तरल दूध परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम...
मर्या.
पता...
....

प्रभारी (संयंत्र संचालन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पता:–..................................
....
....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पता:–.....................................
....
....

रोड मिल्क टेंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रं.	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	9000 कि.ग्रा., 12000 कि.ग्रा. 15000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा.	विभिन्न बीएमसी समितियों से मुख्य संयंत्र भोपाल हेतु एवं दुग्ध शीत केन्द्र नरसिंहगढ़, पचौर, शुजालपुर, आष्टा	38
		कुल	38 टैंकर

टीप :— 1. मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
2. बीएमसी मार्गो की दूरी अनुमानित है, इसमें कमी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। देयकों का भुगतान जीपीएस के द्वारा दर्शायी गई दूरी के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
3. बीएमसी मार्गो में दर्शायी गई समितियों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी हो सकती है।

बीएमसी मार्गों का विवरण

सरल क्रं.	बी.एम.सी. मार्ग क्रमांक	बी.एम.सी. समितियों के नाम	अनुमानित दूरी
1	1	काकरखेड़ा—सिंहपुर—खेरी—ब्रिजेश नगर—बोरदी कलां—लसूड़िया कांगर—कालापीपल जागीर—गाजी खेड़ी—पांग्रा—इच्छावर—भोपाल	200
2	2	पालखेड़ी—लसूड़िया राम —मोगराराम— नरसिंहखेड़ा —ढाबलामाता —भाऊखेड़ी—जमुनिया हतेसिंह—मोहनपुर लेड़ी—अमझिर—अल्हाद खेड़ी —भोपाल	170
3	3	बालापुरा—झालकी—रतनपुर तुमड़ी—नयापुरा इच्छावर—आमला नवाबाद—कुशलपुरा—भोपाल	170
4	4	दिवाड़िया—रामदासी—झरखेडा—जमुनिया फतेहपुर—भंवरा—बापचा दोनिया—भोपाल	150
5	5	न्यू चंदेरी—पीपल्या मीरा—बड़नगर—बमुलिया बड़ा—शिकारपुर—धामन खेड़ा—भंडेली—खेडली—ढाबलाकेलवाडी—कुलासकला—कुलासखुर्द—भोपाल	180
6	6	बरखेडी—टिटोरा—भैसाखेडी—हीरापुर—पीपलनेर—चेनपुरा—खुरचनी—बडझिर ी—बरखेडनाथु—भोपाल	190
7	7	मुण्डला, आमला, खारी, नरेला, टीलाखेड़ी, दुबडी, नांदनी, भोपाल	110
8	8	उलझावन—भोजनगर—गेरूखान—तकीपुर—भोपाल	190
9	9	पखनी—कोठरी—मानाखेड़ी—लसूड़िया खास—खामलय—धामन्दा—दुर्गपुरा—तोरनिया—रामनगर—ढाबला राय—बिजोरा—अवंतीपुरा—भोपाल	220
10	10	सोण्डा, पंचपिपलिया, चितावलिया वन, चितावलिया हेमा, गुड़भेला, शाहपुर कोड़िया, रामाखेड़ी ,कचनारिया सेमली, रायपुर नयाखेड़ा, लसुड़िया परिहार, भोपाल	300

11	11	चोंडी–तज–दुपड़िया भील–पाटनिया–बरखेड़ा सालम–फन्दाकला–फंदाखुर्द–बड़झिरी–मुल्लानी–मुस्करा–लालाखेड़ी–सतपीपल्या–जताखेड़ा–अमरोद–भोपाल	118
12	12	पानखेड़ी, प्रतापपुरा, खजूरी अल्हादाद, नांदनी, नयापुरा, महिला ढाबलाधीर, ढाबलाधीर कॉलोनी , भोपाल	191
13	13	खण्डियापुरा ,बाम्बालाबे , माल्याहेड़ी ,खुरी ,महिला पिपलहेड़ा , भूरा ,मोरच्छाखेड़ा , बाईखेड़ा , खेजड़ामीना , भोपाल	330
14	14	सुन्दरखेड़ी , नारायणपुरा खो ,मोई ,खानपुरा ,पिपल्याबाग ,बड़ोदिया तालाब, तिन्दोनिया, भोपाल	386
15	15	गुलखेड़ी , निवारिया , सिराड़ी , कादमपुर , खजुरिया खुर्द , बैरागढ़ गणेश , करंज खेड़ा , खेड़ी खण्डवा ,भोपाल	110
16	16	देवली, कचनारिया, धनखेड़ी, मगरखेड़ा, मुण्डला कला, जानपुर बावड़िया, निपानिया कलॉ, मुहाली, बड़वेली, भोपाल	120
17	17	पड़ली–नरेला सीहोर–खामलिया–रायपुर नयाखेड़ा–थुनाकला–पचामा–बिजोरी–सेमली खुर्द–जमुनिया टेंक–हसनपुर–सेमरा दांगी–जेटली–तुमड़ा–भोपाल	165
18	18	खाईखेड़ा, छतरी, पीपलखेड़ा, छतरपुरा, चरनाल, आनिया सुल्तानपुर, बैरागढ़ खुमान, श्यामपुर, सोठी, भोपाल	168
19	19	आलनिया , सादंनखेड़ी , बेहरवाल , कमलपुर महिला , आगखेड़ी , भैसाया गढ़ा , कोहड़ी , खोकरा कलॉ, खरदौन कलॉ , मोहम्मदपुर मछनाई , निपानिया बेला , महिला कुरावर , बरोड़ी , भोपाल	180
20	20	पनवाड़ी–झाड़ पिपलिया–महिला सुकली–गाथला–सरसखेडी–असरेटा पाबर–बुड़नपुर–जबरदी–अमलार–लसुड़िया रामनाथ– चाठा–पीपल्यारसोड़ा (पुरूष)– पीपल्यारसोड़ा (महिला)–पिपलिया तवा–इकलेरा–भोपाल	290
21	21	झिरनिया काकड, चाटाहेड़ी–नयासमन्द–बरखेड़ी देव मुगलियाहाट, सोनकच्छ ,पाटन ,पाडल्या ,बरखेड़ी हसन ,–भोपाल	197
22	22	परसौरा महिला –महुआ खेड़ा–इमलिया स्वरूप–भोपाल	195
23	23	बांदी खेड़ी–रूनाहा महिला–शुक्ला परसौरा–मेगरानवीन– भोपाल	180
24	24	परवलिया–बड़बेली कलां–बाबूखेड़ी–बरखेड़ीराम–खजूरिया रामदास ,भोपाल	80
25	25	कुठार–भुनगई–कलारा–रोड़िया–महोली–बरखेड़ा बरामद–भैंसोदा–निदानपुर–इमलिया नरेन्द्र–भोपाल	185
26	26	गढायला , सूजावरखेड़ा ,धौखेड़ा , मानोरा , मडिया पुनिया, भोपाल	250
27	27	पथरोटा , तीखड़ , सतराना , भोपाल	274
28	28	दामखेड़ा–गरेठिया–दुगारिया–रानीखजूरी–सोहाया–मेगराकलां–भोपाल	220
29	29	वर्धा, मंशापूरन, सेमराकलां, कुलोर, बसई बैरसिया, भोपाल	180
30	30	रूसल्ली–करैयाहाट–भोपाल	174

बी.एम.सी. मार्ग से शीत केन्द्रो (शुजालपुर, पचोर,नरसिंहगढ, आष्टा,) तक दुग्ध परिवहन करने वाले बी.एम.सी. मार्ग

नरसिंहगढ शीत केन्द्र

31	51	निनोर–सवासी–लखनवास रोडी जागीर–सालरियाखेड़ी मलावर–खाकरातेजा–ढकोरा मुगलिया दांगी.	135
32	52	मुण्डला बजरंग ,गनियारीपुरा, लसुडिया गुर्जर, भगवान पुरा, सरास्यावे अमरगढ़,सेमली, काचरी	196
33	53	चैनपुराकला ,सुआखेड़ी ,केशरपुरा, कीलखेड़ा, सिंदुरिया खेड़ी, देवली कला ,साण्डाखेड़ी, चाटा व्यावरा, कचनारिया	148

आष्टा शीत केन्द्र

34	61	अरनियाराम–बफापुर ढाकनी–मुगली–गुराड़िया रूपचंद–सामरदा–रसूलपुरा–सेवदा–तिलावद–बिशनखेड़ा–अरनिया कलां–ढाबलाघोसी–आष्टा	179

शुजालपुर शीत केन्द्र

35	64	छेवली–मुगोद–बटवाड़ी–पटलावदा–शुजालपुर	90
36	65	पचौला–बसंतपुर–ताजपूर ऊकाला–दुग्धा–लहारखेड़ा–पिपलोदा–शुजालपुर	110

पचोर शीत केन्द्र

37	69	रतनपुरिया–भानपुरा–तुलसीपुरा–कांगनीपुरा–खजूरी महिला–कचनारिया–पचोर	240
38	70	डंगूरपूर–मिटटूखेड़ी–रसूलपूरा–जैतपुरा–नगपुरिया–सण्डावता–भ्याना– पाडल्यामाता–भैसवामाता–पान्दा– खुजनेर–फून्दिया–पचोर	172